[5/7/2024]

प्रश्न सं. क्र. 831

परिशिष्ट

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर म.प्र.

क्रमांक/ 1828 ग्वालियर दिनांक 30.07.2012

//आदेश //

जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर पूर्व के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पट्टों पर विभिन्न वर्गों को आवंटित की गई है। भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-158 की उपधारा-3 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी से भू-स्वामी अधिकार के भूमि का पट्टा या आवंटन प्राप्त किया है, पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा।

2/ उक्त के अतिरिक्त संहिता की धारा-165 की उपधारा-7 (ख) में यह प्रावधान है कि उपधारा-1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा-158 (3) के अधीन भू-स्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता है, अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है, और जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भू-स्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर का पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा।

3/ चूँकि आंवटित की गई शासकीय भूमि खसरे में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित की जाती है। अतः ऐसी भूमि के अंतरण की संभवना बनी रहती है। ऐसी भूमि के विक्रय पर रोक लग सके, इसके लिये आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करना आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि समस्त शासकीय पट्टेदार से भू-स्वामी बने कृषक के नाम के साथ खसरा के कॉलम नम्बर 3 में "शासकीय पट्टेदार से भू-स्वामी " अंकित किया जाये, तथा सभी शासकीय पट्टेदार की भूमियों के आगे खसरा के कॉलम नम्बर 12 में अहस्तांतरणीय अंकित किया जाये। यह कार्यवाही अभियान के तौर पर एक माह में सम्पन्न की जाये तथा समस्त तहसीलदार कार्यवाही पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र 30 अगस्त 2012 के पूर्व अनिवार्यः दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जिला पंजीयक ग्वालियर यह सुनश्चित करेंगी कि जिस भूमि के संबंध में खसरे में "शासकीय पट्टेदार से भू-स्वामी" तथा "अहस्तांतरणीय" अंकित है, उसके विक्रय पत्र का पंजीयन सक्षम अधिकारी के बिना नहीं किया जायेगा।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु सर्वसंबंधित को आदेश की प्रति तत्काल उपलब्ध कराये जाये।

पठनीय हेतु टंकित प्रति

कलेक्टर
जिला ग्वालियर

पृष्ठांकन /1829/8-भू.अ./10-11 /वर्कलोड /2012 ग्वालियर 30.07.1012

उप वन संरक्षक (वन-भू अभिलेख) म.प्र. भोपाल

1/ अनुविभागीय अधिकारी, ...की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
2/ जिला पंजीयक ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
3/ तहसीलदार / नायब तहसीलदार, घाटीगॉव की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4/ अधीक्षक भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख ....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
5/ राजस्व निरीक्षक वृत्त ....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला ग्वालियर

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल